





09/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अमयपक्ष उप
अवसं-1 को सम्मन जारी हो चुका
है। अनुपस्थित है। पत्रावली वाले उचित
आदेशार्थ अवसं-1 दि. 11/12/25 को पेश
हो।


09/10/25

11/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अमयपक्ष उप
अवसं-1 की ओर से मूल वाद में
प्रकालनामा वकील श्री शम्बाधु मेघा
ने पेश। पत्रावली वाले जवाब प्रेषण
अवसं-1 दि. 19/02/26 को पेश हो।


11/12/25

19/02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील अमयपक्ष उपस्थित।
अमयपक्ष ने सीधी बहल करने का निवेदन
किया। अमयपक्ष ने एवम होकर बहल
किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध
रिपोर्ट एवं मोके की यथास्थिति बनाये
रखने के आदेश जारी किये जाने पर
सहमत है। अतः प्राथम्य का प्रेषण
स्वीकार किया जाकर अमयपक्ष को जमानत
अर्थात् निवेद्याता इस आशय कि पावंड



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहका
हुक्म कं
में जा

विषय ज्ञात है कि वे ग्राम मरखडा
की वासना रूप से रायल रिपोर्ट व
भा 5 की यथास्थिति बनाये रखे।
पत्रावली पैलल सुमार होकर नम्बर से कम
होकर रूपवास के साथ लगाए जा



[Handwritten Signature]

19/2/26

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला इलाहाबाद (सज०)